न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 41 / 2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2021 / 125

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

पीराराम पुत्र वरधाराम, जाति—रेबारी निवासी—फालना, तहसील—सांचौर — बगताराम पुत्र खंगाराराम वगैरह

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 06.12.2021

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 22.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा फालना, पटवार हल्का—हाड़ेतर में प्रार्थी के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक, कब्जाकाश्त के खेत खसरा नंबर 102 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277 रकबा 2.66 हैक्टेयर कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर व ग्राम हाड़ेतर, पटवार हल्का हाडेतर के खसरा नंबर 324 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 325 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 326 रकबा 4.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 623 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 624 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 639 रकबा 2.59 हैक्टेयर कुल रकबा 9.65 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थी के अलग हिस्से, कब्जे काश्त की भूमि के चारों और ... की बाड़ की हुई है, चारों और माठें कायम की है। उक्त आराजी का लगान भी ... अदा करता आ रहा है। गिरदावरी भी प्रार्थी के नाम से तज्वीज होती आ रही है। ... आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी के मुझ प्रार्थी पीराराम को बैचान की गई भूमि में अनजबी व्यक्ति कब्जा करने की फिराक में रहते है तथा जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते है तथा जबरन व अवैध तरीके से अजनबी व्यक्ति को अप्रार्थीगण आगे कर कब्जा कराने की फिराक में रहते है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं मानते है तथा हर समय उपरोक्त कृत्य करनें में भरपूर यत्न करते रहते है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रार्थी को काश्त करने में भारी विघ्न इत्यादि डालते रहते है। प्रार्थी ऐलानियां धमकियां भी देते है कि हम तो वादग्रस्त खेत में अजनबी व्यक्ति से आपको बेदखल कर कब्जा कर निर्माण करेंगें। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा फालना, पटवार हल्का हाडेतर में हम प्रार्थी के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नंबर 102 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277 रकबा 2.66 हैक्टेयर कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर व ग्राम हाड़ेतर, पटवार हल्का हाडेतर के खसरा नंबर 324 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 325 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 326 रकबा 4.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 623 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नंबरं 624 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 639 रकबा 2.59 हैक्टेयर कुल रकबा 9.65 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी के खरीदसुदा, कब्जासुदा भूमि में व अपने हिस्से से ज्यादा भूमि में न तो जबरन प्रवेश करें, न ही प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/अवरोध पैदा करें, तथा न ही माठ, बाड़ इत्यादि को तोड़कर हमारे हिस्से की भूमि में काश्त नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें तथा उक्त संयुक्त आराजी का आगे से आगे बैचान, रहन, तर्क किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं करें व करावें। उक्त कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि हम अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। जवाब दो बार पढ़कर सुनाया, सुन समझ सही होना स्वीकार कर राजी खुशी अंगूठा हस्ताक्षर किये है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मौजा फालना पटवार हल्का हाडेतर के खसरा संख्या 102, 277 जुमले रकबा 4.84 हैक्टेयर व खसरा नंबर 324, 325, 326, 623, 624, 638, 639 जुमले रकबा 9.65 हैक्टेयर में प्रार्थी का अंश मात्र है जो मौके पर विभाजन होकर अलग हुए 45 वर्ष से ज्यादा समय हुआ है विशेषकर खसरा नंबर 277 जो वगता के बंट में थी जिसमें से 1/8 हिस्सा वगता ने संतोष को बैचान कर दिया बैचान के बाद अग्र क्रय अधिकार लागू नहीं होता व कृषि भूमि से संबंध [illegible] सृजित है। ऐसी स्थिति में अग्र क्रय अधिकार के आधार पर मांगा गया अनतोष काबिल खारिज के है। खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

:— **आदेश** :—

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम फालना की विवादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान् मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **22.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested